न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) कक्ष संख्या-10, देवरिया।

वाद संख्या- 465/2025

सत्येन्द्र सिंह बनाम विजय प्रताप सिंह आदि

21.03.2025

वाद पेश हुआ। वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। सम्मन वास्ते वादोत्तर दिनांक 10.04.2025 के लिए जारी हो। बाद पैरवी प्रतिवादीगण को सम्मन वाद-पत्र की प्रति लगाकर उभयप्रकार से जारी हो। पैरवी वादी 7 दिन में करें।

प्रभारी सिविल जज (जू०डि०)
कक्ष संख्या-10, देवरिया।

21.03.2025

पत्रावली पेश हुई। वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6ग पर एक पक्षीय रूप से सुना एवं पत्रावली पर दाखिल प्रलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 6ग के माध्यम से वादपत्र के अन्त में वर्णित विवादित भूमि के बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तरिम व्यादेश का अनुतोष याचित किया गया है एवं अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 9ग से नकल खतौनी 10ग दाखिल किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुने एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना न्यायसंगत नहीं है। मुंसरिम आख्या के अनुसार पत्रावली में कैविएट संलग्न नहीं है।

अतः प्रतिवादीगण को नोटिस वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग दिनांक 10.04.2025 के लिए जारी हो। पैरवी अन्दर 7 दिन किया जावे।

प्रभारी सिविल जज (जू०डि०)
कक्ष संख्या-10, देवरिया।

बादहूः-

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 8ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि नोटिस का तामिला जरिए अर्जेन्ट प्रासेस सर्वर/अदालत चपरासी कराने की कृपा की जावे।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र 8ग स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 8ग स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी वास्ते अर्जेन्ट प्रासेस सरवर अन्दर सप्ताह करें।

प्रभारी सिविल जज (जू०डि०)
कक्ष संख्या-10, देवरिया।